न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी श्री नरेश सोनी आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर :— 39/2021

प्रार्थीगण :—

1. मोटाराम पुत्र पेमाराम
2. लालूराम पुत्र मदरूपाराम,
3. बस्ताराम पुत्र मदरूपराम,
4. लिखमाराम पुत्र मदरूपाराम
5. टेलाराम पुत्र तिलाराम
6. छगनलाल पुत्र तिलाराम,
7. तीजो बेवा तिलाराम, जातियान मेघवाल

बनाम

विप्रार्थीगण :—

1. अणसी बेवा राम
2. मोहनराम पुत्र उम्मेदाराम
3. गुमनाराम पुत्र उम्मेदाराम
4. पारसराम पुत्र उम्मेदाराम
5. धापुदेवी पत्नी उम्मेदाराम
6. जसुराम पुत्र मूलाराम
7. सोनाराम पुत्र मूलाराम
8. कूम्भाराम पुत्र गोरखाराम
9. डायाराम पुत्र गोरखाराम
10. बाबूराम पुत्र गोरखाराम
11. चम्पाराम पुत्र गोरखाराम, जातियान मेघवाल
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा ।

प्रार्थना पत्र वास्ते धारा 251ए आर.टी ए. (1) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

अधिवक्तागण :— 1 श्री देवीसिंह प्रार्थीगण वकील

2 श्री जोगाराम दमामी विप्रार्थीगण वकील 1 ता 11

आदेश दिनांक :— 02.07.2021

प्रार्थीगण यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए एक्ट का विप्रार्थी के खिलाफ पेश किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर व्यक्त किया है, कि प्रार्थीगण के खातेदारी के खेत के खसरा न0 427/209 मौजा खन्नौडा में आवागमन व निवास के उपयोग हेतु एवं कृषि उपयोग हेतु संलग्न नजरी नक्शा में बरंग लाल में मार्क ए से बी दर्शाये है उससे विप्रार्थीगण की खातेदारी के खेत खसरा .../212, 364/212 व खसरा न0 319/212 में से होकर ... शेड तक पहुचने के लिये 15 फिट चौडा रास्ता ... पत्र पेश किया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.27 18:32:37 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार पचपदरा से मौके की स्थिति की मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु तहरीर जारी की गयी तहसीलदार पचपदरा के पत्र संख्या

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned with CamScanner

राजस्व/2020/813 दिनांक 07.04.2021 से पालना रिपोर्ट प्राप्त हुई । [illegible] पचपदरा के द्वारा मौका रिपोर्ट में जाहिर किया गया कि मौजा खन्नौडा में आवेदक के नाम खातेदारी भूमि में जिसमें आवागमन हेतु आवेदक द्वारा खसरा नम्बर 427/209 के नाम खातेदारी भूमि है जिसमें आवागमन हेतु आवेदक द्वारा खसरा नम्बर 319/212 व 364/212 किस्म बा0 सो0 खातेदारी भूमि राजस्व रेकर्ड दर्ज है। में से रास्ते हेतु भूमि प्रस्तावित की है जो प्रतिबंधित श्रेणी की भुमि नहीं । प्रस्तावित भुमि की वर्तमान डी0एल0सी0 दर 17460/ रूपयें प्रति बीघा है। रास्ते हेतु कुल रकबा 0–06 व 0–03 बीघा कुल रकबा 0–09 बीघा भूमि बनती है।

प्रार्थीगण वकील एवं राजकीय पेरोकार सरकार की बहस को सुना एवं पत्रावली का गहराई से अवलोकन किया व अध्ययन किया गया । न्यायालय में प्रस्तुत जमाबंदी मौजा खन्नौडा के खेत खसरा न0 319/212 व 364/212 जो पुश्त पर अंकित नजरी मानचित्र में बताए अनुसार कुल रकबा 0–06 व 0–03 बीघा कुल रकबा 0–09 बीघा भूमि होती है जो उपयुक्त एवं निकटतम रास्ता है।

तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रकरण मे पटवारी हल्का से मौका एवं रेकार्ड से जाचं की गई जिसके अनुसार मौजा खन्नौडा के खसरा संख्या 319/212 व 364/212 की भूमि तक आवागमन करने हेतु विप्रार्थीगण के खातेदारी खेत से नया मार्ग नक्शा परिशिष्ट –'अ' में मार्क 'ए' से 'बी' दर्शाये माफिक जो प्रार्थीगण के निकटतम रास्ता है, इसके अलावा अन्य कोई रास्ता विकल्प में उपलब्ध नहीं है, चुंकी प्रार्थीगण खातेदार टिनेन्ट है जिसको कृषि कार्य व आवागमन के उपयोग हेतु है। जिसका प्रावधान धारा 251 ए रा.क.अ में प्रावधित है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खेत खसरा मौजा प्रार्थीगण खसरा न0 427/209 मौजा खन्नौडा पटवार हल्का पचपदरा तहसील जिला बाडमेर में जाने हेतु खसरा नम्बर 319/212 व 364/212 में से नया मार्ग नक्शा परिशिष्ट –'अ' में मार्क 'ए' से 'बी' दर्शाये माफिक भूमि रास्ता हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। प्रार्थी इस हेतु डी.एल.सी रेट 17460/– प्रति बीघा निर्धारित है, जिसके अनुसार रास्ते के लिए 0–06 व 0–03 बीघा कुल रकबा 0–09 बीघा भूमि की राशि 7857 रूपये की नियमानुसार देय दुगनी क्षतिपूर्ति राशि रूपये 15714 /– रूपये सम्बन्धित खातेदारान को भुगतान करे एवं भुगतान रसीद तहसीलदार पचपदरा के कार्यालय में जमा करावें, राशि जमा की रसीद प्राप्त होने पर तहसीलदार पचपदरा नियमानुसार रेकर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करें।

मौका रिपोर्ट दिनांक [illegible] एवं प्रस्तावित नक्शे में चिन्हित किया गया प्रस्तावित रास्ता इस निर्णय भाग समझ कर [illegible] पढ़े जाएं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.27 18:32:37 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

आदेश आज दिनांक 2.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी बालोतरा
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned with CamScanner